

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी निम्नांकित व्याख्याता-हिन्दी के जारी आदेशों में उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार वांछित आंशिक संशोधन किया जाता है -

क्र. सं.	नाम आशार्थी मय पदस्थान स्थान	आदेश क्रमांक	आदेश दिनांक	वांछित संशोधन
1-	श्रीमती शकुन्तला देवी, बा0 सुलताना - झुंझुनूं	198	31.01.19	सेवा निवृत्ति आदेश में कार्मिक नाम शकुन्तला राय के स्थान पर शकुन्तला देवी पढा जावे ।
2	तुलसीराम रेगर, छारोड- सवाईमाधोपुर	43	31.01.19	सेवा निवृत्ति आदेश में कार्मिक का नाम तुलसीराम वर्मा के स्थान पर तुलसीराम रेगर पढा जावे ।
3	अनुराग चतुर्वेदी, श्रीबांगड -पाली	29	30.08.13	स्थाईकरण आदेश में कार्मिक का नाम ANURAG CHUTRAVADI के स्थान पर ANURAG CHATURVEDI पढा जावे ।
4	भारती गुप्ता, आन्नद शर्मा बा0 दौसा	02	05.03.19	एसीसी आदेश मे एसीपी स्वीकृति तिथि 0.08.2017 के स्थान पर 08.08.2017 पढी जावे ।
5	श्रीमती रजनी शर्मा, वर्तमान प्रधानाचार्य, निगोही - डीग-भरतपुर	10	3.05.01	स्थाईकरण आदेश में कार्यग्रहण तिथि 30.11.96 मंथ्यान पश्चात एवं स्थाईकरण तिथि 01.12.98 पढी जावे ।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 29.05.19

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/संशोधन/2018-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 2 संबधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय स्कूल शिक्षा
- 3 संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 4 अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर, कार्यालय हाजा
- 5 संबधित संस्था प्रधान/ कार्मिक
- 6 रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर